

6

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 253/2021

मुकेश कुमार, मकान नं0 3 बी, कमला शिक्षक विहार, सेठ मोतीलाल (पी0जी0) महाविद्यालय, राणी सती रोड, झुंझुनू,
मो0न0 9928536030

बनाम


लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू।

— —
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील
आदेश

दिनांक 27.12.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.11.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 253/2021 पर दिनांक 29.11.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/3726-27 दिनांक 29.11.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू ने पत्रांक रीडर/आरटीआई/2021/1089 दिनांक 23.12.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी मुकेश कुमार, मकान नं0 3 बी, कमला शिक्षक विहार, सेठ मोतीलाल (पी0जी0) महाविद्यालय, राणी सती रोड, झुंझुनू, मो0न0 9928536030 तहसील व जिला झुंझुनू द्वारा दिनांक 08.10.2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जिला मुख्यालय के खाता संख्या 1507 के अन्तर्गत आने वाले खसरा नम्बरों 1789, 1790, 1810 व 1813 की जमाबन्दी व नक्शे की सत्यापित प्रतिलिपि चाही गई थी। जो प्रार्थी कार्यालय दिवस को कार्यालय समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर पटवारी हल्का झुंझुनू से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर उक्त खसरा नम्बरान की जमाबन्दी व नक्शे की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त कर लेवें। जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्र कमांक आर0टी0आई0/2021/970 दिनांक 08.12.2021 के द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू पत्रांक रीडर/आरटीआई/2021/1089 दिनांक 23.12.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी मुकेश कुमार, मकान नं0 3 बी, कमला शिक्षक विहार, सेठ मोतीलाल (पी0जी0) महाविद्यालय, राणी सती रोड, झुंझुनू, मो0न0 9928536030 तहसील व जिला झुंझुनू द्वारा दिनांक 08.10.2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जिला मुख्यालय के खाता संख्या 1507 के अन्तर्गत आने वाले खसरा नम्बरों 1789, 1790, 1810 व 1813 की जमाबन्दी व नक्शे की सत्यापित प्रतिलिपि चाही गई थी। जो प्रार्थी कार्यालय दिवस को कार्यालय समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर पटवारी हल्का झुंझुनू से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर उक्त खसरा नम्बरान की जमाबन्दी व नक्शे की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। जिसकी सूचना के लिए उनके कार्यालय के पत्र कमांक आर0टी0आई0/2021/970 दिनांक 08.12.2021 के द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। चूंकि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं हुई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराये जाने पर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 27.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनू